न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. अमरचंद लोदा पुत्र घेवर चंद जाति दर्जी निवासी पीह
2. शिंभू लाल पुत्र रतनाराम जाति माली निवासी पीह

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अनिता चूण्डावत पत्नी सुरेन्द्र सिंह चूण्डावत जाति राजपूत
2. सुरेन्द्र सिंह चूण्डावत पुत्र कल्याणसिंह चूण्डावत जाति राजपूत निवासी मकान संख्या 201 हरिभाहू उपाध्याय नगर विस्तार योजना पुष्कर रोड अजमेर
3. अमरी देवी पत्नी केशाराम
4. खूबचंद पुत्र केशाराम
5. दिनेश कुमार पुत्र केशाराम
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
7. हरेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
8. मोतीराम पुत्र केशाराम जाति सभी जाट निवासी बोरावड
9. किशनलाल पुत्र रणजीत सिंह जाति रायका निवासी रेवंत पोस्ट कडेल जिला पुष्कर
10. प्रभूलाल पुत्र हरलाल
11. बाबूलाल पुत्र हरलाल
12. गणेश पुत्र हरलाल
13. भागचंद पुत्र लालाराम सभी जाति गुर्जर निवासी बासेली तहसील पुष्कर
14. रसाल देवी पत्नी श्रवणलाल जाति कुम्हार निवासी गनेहड़ा पुष्कर अजमेर
15. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादीगण,
श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
श्री तिलोक नाथ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14

मुकदमा नम्बर :– 2024/314 निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

निर्णय

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1815 रकबा 3.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1826 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1827 रकबा 4.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1855/1837 रकबा 1.2100 हैक्टर आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/10,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

संयुक्त रूप से हक हिस्सा आया हुआ है तथा वादी संख्या 1 का 1/20 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। वाद पत्र के साथ परिशिष्ट 'क' पेश किया वादीगण का संयुक्त 1/10 हिस्सा खसरा नम्बर 1827 में आया हुआ है जो 0.9650 हैक्टर का रकबा संयुक्त रूप से है वादीगण की जमीन के रास्ता लगता है वादीगण का हक कब्जा खसरा नम्बर 1827 में है अन्य खसरा नम्बर में वादीगण का बंट नही है खसरा नम्बर 1826 गै.मु. कुआ है जिसमें वादीगण का हक नही है। प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारे से इन्कार करने पर तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा हो रखे अनुसार प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार से करवाने का अनुयय विनय करने के उपरान्त भी नही मानने पर वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बंटवारे की इस्तदुआ की है।

वाद पत्र वकील वादीगण द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 15 के सम्मन विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राघव शर्मा ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा अपने हिस्से की अलग होल्डिग कायम करवाने का निवेदन किया तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता तिलोक नाथ ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा उक्त आराजियात में अपना हिस्सा अलग घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 13 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली साक्ष्य में तलब की गई। जिसमें वादीगण अमरचन्द व शिंभूलाल का शपथ–पत्र पेश किया ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद की जाकर बहस उभय पक्षो की सुनी गई। दौराने बहस वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद बंटवारा का होने से प्राथमिक रूप स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया तो वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु लिखा गया जिसके पश्चात तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्र कमांक भू0अ/2025/603 दिनांक 01.04.2025 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर उभय पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण व बंटवारा प्रस्ताव उभय पक्षकारों की सहमति के उपरान्त प्राप्त होने के कारण स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1815 रकबा 3.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1826 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1827 रकबा 4.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1855/1837 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

डिक्री मुकदमां इब्ताहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना–कुचामन), राज.**

वादीगण :–

1. अमरचंद लोदा पुत्र घेवर चंद जाति दर्जी निवासी पीह
2. शिंभू लाल पुत्र रतनाराम जाति माली निवासी पीह

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अनिता चूण्डावत पत्नी सुरेन्द्र सिंह चूण्डावत जाति राजपूत
2. सुरेन्द्र सिंह चूण्डावत पुत्र कल्याणसिंह चूण्डावत जाति राजपूत निवासी मकान संख्या 201 हरिभाहू उपाध्याय नगर विस्तार योजना पुष्कर रोड अजमेर
3. अमरी देवी पत्नी केशाराम
4. खूबचंद पुत्र केशाराम
5. दिनेश कुमार पुत्र केशाराम
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
7. हरेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
8. मोतीराम पुत्र केशाराम जाति सभी जाट निवासी बोरावड
9. किशनलाल पुत्र रणजीत सिंह जाति रायका निवासी रेवंत पोस्ट कडेल जिला पुष्कर
10. प्रभूलाल पुत्र हरलाल
11. बाबूलाल पुत्र हरलाल
12. गणेश पुत्र हरलाल
13. भागचंद पुत्र लालाराम सभी जाति गुर्जर निवासी बासेली तहसील पुष्कर
14. रसाल देवी पत्नी श्रवणलाल जाति कुम्हार निवासी गनेहड़ा पुष्कर अजमेर
15. तहसीलदार परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

दावा बाबत् :– बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादीगण,
श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
श्री तिलोक नाथ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14

मुकदमा नम्बर :– 2024/314

निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री अधिवक्ता वादीगण श्री गजराज चौहान व श्री तिलोक नाथ, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14, श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिनजानिब मुदई रूबरू............ मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :–

कि ग्राम पीह की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1815 रकबा 3.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1826 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1827 रकबा 4.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1855/1837 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर